

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2026 — पौष 19, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक-ESTB/28/2024-GAD-13. - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सन् 2005 का क्र. 22) की धारा 15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर, श्री अमिताभ जैन (से.नि. भा.प्र.से.) को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

2/ उक्त नियुक्ति भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 24.10.2019 “सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2019” के अधीन होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.